कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर 302015)...

क्रमांक	एफ–5()कार्मिक/साप्र./ननिज/2021./ 1049 दिनांकः–27.10.2021

कार्यालय आदेश

स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर के आदेश क्रमांक एस्टे/एम/एफ.10 /आरएमएस(टी)/डीएलबी/21/16395 दिनांक 21.10.2021 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका सेवा चयन आयोग द्वारा प्रेषित सूची में से विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 15509–927 दिनांक 08.10.2021 की पालना में वांछित दस्तावेज विभाग में प्रस्तुत कर दिये जाने पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित श्री दीपक कुमार शर्मा को नगर निगम ग्रेटर जयपुर में वरिष्ठ प्रारूपकार के पद पर आदेश के अध्यधीन शर्तो पर नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त आदेश की अनुपालना में श्री दीपक कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 22.10.2021 को नगर निगम ग्रेटर जयपुर में वरिष्ठ प्रारूपकार के पद पर नियुक्ति हेतु उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्री दीपक कुमार शर्मा को समिति द्वारा पात्रता के साथ संलग्न दस्तावेजो की जांच की जाकर कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 22.10.2021 से नगर निगम ग्रेटर जयपुर में वरिष्ठ प्रारूपकार के पद पर निम्नांकित शर्तो पर उपस्थिति प्रदान की जाकर इनका पदस्थापन विद्याधर नगर जोन में किया जाता है। श्री दीपक कुमार शर्मा अविलम्ब अपनी उपस्थिति नवीन पदस्थापित कार्यस्थल पर देना सुनिश्चित करेंगी।

शर्तें:–

1. अभ्यर्थियों की पात्रता एवं योग्यता संबंधी प्राथमिक जांच भर्ती आयोग द्वारा की जा चुकी है, किन्तु अभ्यर्थी की पात्रता एवं योग्यता संबंधी सम्पूर्ण जांच एवं सत्यापन संबंधित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर भी की जावे। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिक्स वेतन नियमानुसार देय होगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों की यह सूची, अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के अध्यधीन रहेगी। किसी अभ्यर्थी का चयन गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेवाएं, तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. इस आदेश के अधीन संबंधित निकाय द्वारा अस्थायी (PROVISIONAL) नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे जिसकी पालना में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा विवाह प्रमाण–पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं होने, दहेज नही लेने/नहीं देने व धूम्रपान, गुटखा व तम्बाकू का सेवन नहीं करने का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र व बन्ध पत्र, 100/–रूपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. उक्त नियुक्ति पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सकीय शारीरिक दक्षता के अध्यधीन होगी। पुलिस सत्यापन में नियमानुसार नियुक्ति हेतु प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर अथवा/और चिकित्सकीय शारीरिक दक्षता नहीं पाए जाने पर नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश संबंधित निकाय द्वारा बिना सूचना के निरस्त किये जा सकेंगे।

5. कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–10(5) डीओपी/ए–2/17 दिनांक 15.05.2018 के अनुसार अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में अटेस्टेशन फॉर्म एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों/राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
6. चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों का प्रमाणित आधार नहीं होने के कारण अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि " यदि कभी उक्त प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
7. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है तथा 01 माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।
8. नगर निकायों को आवंटित चयनित वरिष्ठ प्रारूपकार पद के अभ्यर्थी, इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज एवं लिखित आवेदन सहित उपस्थित होंगे जिसकों संबंधित निकाय द्वारा रिकार्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात इस आदेश के अन्तर्गत वरिष्ठ प्रारूपकार पद हेतु चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे और नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
9. उपरोक्त कार्मिकों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (1) वित्त/नियम/2017/दिनांक 30.10.2017 एवं 09.02.2017 (शिड्यूल IV) के अनुसार दो वर्ष परीविक्षाकाल अवधि में रूपये 23700/– प्रतिमाह रम्यूनरेशन देय होगा।
10. उक्त नियुक्ति विचाराधीन याचिका संख्या 10511/2021, 10323/2021 एवं 10481/2021 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अध्यधीन रहेगा।
11. यह आदेश आयोग के संबंधित रिकार्ड एवं चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तो के आधार पर सह्वन या अन्य कारण से हुई त्रूटि (यदि कोई हो तो) को संशोधित किये जाने के अध्यधीन रहेगा।
12. उपरोक्त पदों से होने वाला वित्तीय भार नगर निकायों के द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन पदो के लिए अलग से कोई अनुदान देय नहीं होगा।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
आईएएस
आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक, महापौर महो०/उपमहापौर महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महो०, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
3. निजी सहायक, आयुक्त/ अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
4. उपायुक्त विद्याधर नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
5. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
8. संस्थापन लिपिक
9. संबंधित श्री......................
10. प्रभारी, ओसवाल डाटा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
11. गार्ड फाईल

आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर